न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 33 / 2021

निर्णय दिनांकः– 17.11.2021

पीठासीन अधिकारीः– राजकुमार कस्वा (आर0ए0एस0)

1. कमलेश देवी पुत्री बजरंग जाट जाति जाट निवासी ग्राम नवरंगपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सत्यदेव सिंह नरूका वकील वादीया

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः– 17.11.2021

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 105 के ख0न0 314, 316, 318 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3530 है0, खाता सं0 116 के ख0न0 319 रकबा 5.3615 है0, खाता सं0 25 के ख0न0 309, 450 / 165 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0875 है0 भूमि वाके ग्राम लाखावास तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे खाता सं0 105 मे वादिया का 1 / 16 हिस्सा, खाता सं0 116 मे 1 / 48 हिस्सा, खाता सं0 25 मे 1 / 8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादिया उपरोक्त हिस्सेनुसार उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराती चली आ रही है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वादिया की माता गेंन्दी देवी की पैतृिक सम्पति है एवं स्वं गेन्दी देवी पुत्री भागीरथ जाट पत्नी बजरंग जाट वादिया की माता लगती थी स्वं भागीरथ के फौत होने पर उसके पुत्र घासीराम, रोडुराम, जगदीश व पुत्रियॉ बन्नी, भूली, गोपाली स्व0 झमकु देवी के पुत्र कुन्दालाल व स्वं0 गेन्दी देवी की पुत्री कमला देवी के नाम से जरिये विरासत नामान्तकरण दर्ज किया गया है जबकि विरासत के नामान्तकरण मे वादिया का स्वंय का नाम व वादिया के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया क्योकि वादिया का रिकार्डेड नाम कमलेश देवी है इसी प्रकार वादिया के पिता रामकरण का रिकार्डेड नाम बजरंग जाट है एवं कमला देवी पुत्री बजरंग जाट व

लगातार..................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

कमलेश देवी पुत्री रामकरण नाम की ग्राम पंचायत नवरंगपुरा तहसील पीपलू मे एक ही व्यक्ति व महिला है। वादिया की माता गेदी देवी की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय मजमेआम मे नामों की सही जॉच नही कर व वादिया के परिवार वाले स्वं गेन्दी देवी के वारिस के सही नाम की जानकारी नही की एवं वादिया व वादिया के पिता के बोलते नामों से ही नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया इस प्रकार स्वं भागीरथ जाट की विरासत के नामान्तकरण के रिकार्ड के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज हो गया जिसकी जानकारी वादिया को नही रही जबकि अन्य दस्तावेजात व रिकार्ड मे वादिया का नाम कमलेश देवी पुत्र बजरंग जाट दर्ज करवा रखा है। वादिया कमलेश देवी पुत्री बजरंग जाट नाम की अन्य कोई महिला व पुरूष ग्राम नवरंगपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक मे नही है बल्कि वादिया के सभी दस्तावेज से पुर्णतया सिद्व होता है कि वादिया का नाम कमलेश देवी पुत्री बजरंग जाट है इसलिये वादिया व वादिया के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित होगा। वादिया कम पढी लिखी व मजदुरी पेशा महिला है जिसको राजस्व रिकार्ड मे राज कर्मचारियों द्वारा अपने व अपने पिता के गलत नाम दर्ज होने की जानकारी प्रारम्भ से ही नही रही अभी हाल ही मे दिनांक 01.04.2021 वादिया अपनी खातेदारी भूमि ग्राम लाखावास तहसील फागी मे अपनी भूमि पर किसान कार्ड बनवाने वास्ते पटवारी हल्का से जमाबन्दी व अन्य राजस्व रिकार्ड की नकल लेने के लिये पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकार्ड मे तो आपका नाम कमला देवी पुत्री रामकरण दर्ज है इसप्रकार वादिया को अपने गलत नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। वादिया उक्त गलती तो दुरूस्त करवाने के लिये प्रतिवादी के पास गई तो दिनांक 01.04.2021 को प्रतिवादी ने उक्त गलती को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने के लिये कहा इसलिये यह वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी हुआ है। वादिया को वाद कारण दिनांक 01.04.2021 को प्रतिवादी द्वारा वादिया के पिता नाम को दुरूस्त करने से इन्कार करने एवं मान्य

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

लगातार..................3

न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त वाद मान्य न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है। विवादित आराजी मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने से दावा हाजा का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब वादिया को उक्त वादग्रस्त आराजी जरिये विरासत से प्राप्त होना बताया है।

साक्ष्य वादी हेतु वादिया ने स्वंय का बन्नी देवी जाट पुत्री भागीरथ धर्मपत्नी लक्ष्मण जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील फागी हाल निवासी ग्राम नवरंगपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक, फून्दालाल जाट पुत्र स्वं0 चतुर्भज जाति जाट निवासी ग्राम नवरंगपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक, जगदीश जाट पुत्र स्व0 भागीरथ जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील फागी के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गय। गवाहान ने अपने शपथ पत्र मे वादीया का सही नाम कमलेश देवी पुत्री बजरंग लाल होने को कथंन किया है।

प्रशासंन गावों के संग अभियान दिनांक 17.11.2021 को कैम्प परवण मे पटवारी हल्का से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जो शामिल पत्रावली की गई। अपनी फर्द मौका रिपोर्ट मे भी वादीया का सही नाम कमलेश देवी पुत्री बजरंग लाल सही होना बताया है।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये वादीया का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक प्रदर्श 3 जमाबन्दी सम्वत 2069 –2072

लगातार..................5

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

वाके ग्राम लाखावास मे उक्त वादग्रस्त आराजी मे वादिया का नाम कमला देवी पुत्री रामकरण दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक प्रदर्श 2 नामान्तकरण सं0 471 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी वादिया को जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत बगडवा पंचायत समिति पीपलू द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13.04.2021 मे वादीया के पिता का नाम रामकरण नही होकर बजरंग होना व वादीया का नाम भी कमला देवी व कमलेश देवी होना बताया है। वादिया के अन्य दस्तावेजात मे वादीया का नाम कमलेश देवी दर्ज है। गवाहाना ने भी वादीया का नाम कमलेश देवी व वादिया के पिता का नाम बजरंग होना जाहिर किया है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब मे उक्त विवादग्रस्त आराजी वादीया को जरिये विरासत से प्राप्त होना बताया है तथा फर्द मौका रिपोर्ट मे भी वादीया का सही नाम कमलेश देवी पुत्री बजरंगलाल होना बताया है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 105 के ख0न0 314, 316, 318 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3530 है0, खाता सं0 116 के ख0न0 319 रकबा 5.3615 है0, खाता सं0 25 के ख0न0 309, 450/165 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0875 है0 भूमि वाके ग्राम लाखावास तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थिति आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन वादीया का नाम कमला देवी पुत्री रामकरण के स्थान पर कमलेश देवी पुत्री बजरंग जाट दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादीया को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
बइजलास– राजकुमार कस्वा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. कमलेश देवी पुत्री बजरंग जाति जाट निवासी ग्राम नवरंगपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0ः– 33 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीया श्री सत्यदेव सिंह नरूका हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 105 के ख0न0 314, 316, 318 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3530 है0, खाता सं0 116 के ख0न0 319 रकबा 5.3615 है0, खाता सं0 25 के ख0न0 309, 450 / 165 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0875 है0 भूमि वाके ग्राम लाखावास तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थिति आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन वादीया का नाम कमला देवी पुत्री रामकरण के स्थान पर कमलेश देवी पुत्री बजरंग जाट दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादीया को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे।

निज.............—.............मुबलिग..................—..................बाबत..........................—.......................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....—...........................फीसदी.........—.........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......—......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 / 11 / 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबुत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमीश्नर	—	—
फीस कमीश्नर	—	—	बबत इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफरिक	—	—
मुतफरिक	—	—	मीजान	—	—
मीजान	—	—			

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर